



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 463 राँची, गुरुवार, 12 भाद्र, 1948 (श०)
3 सितम्बर, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

24 अगस्त, 2026

संख्या-03/आरोप-11-36/2026-38561 (HRMS)--झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के पत्रांक-2606, दिनांक 11.08.2026 द्वारा पुलिस उपाधीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-427, दिनांक 30.07.2026 एवं पत्रांक-442, दिनांक 07.08.2026 की प्रति संलग्न करते हुए सूचित किया गया है कि अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड, राँची काण्ड संख्या-16/2026, दिनांक 22.07.2026 के प्राथमिकी अभियुक्त श्रीमती श्वेता कुमारी गुप्ता, उप परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची को दिनांक 22.07.2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है ।

2. अतः श्रीमती श्वेता कुमारी गुप्ता, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-161/20), तत्कालीन उप परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(2)(क) के तहत हिरासत में लिये जाने की तिथि दिनांक 22.07.2026 के प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित किया जाता है ।

3. श्रीमती श्वेता कुमारी गुप्ता को निलंबन अवधि के दौरान जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-10 के अनुरूप उसी स्थापना द्वारा किया जाएगा, जहाँ श्रीमती गुप्ता कारावास में जाते समय पदस्थापित थीं।

4. हिरासत से मुक्त होने के बाद श्रीमती गुप्ता कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची में योगदान देगी।

Sl. No.	Employee Name (G.P.F. No.)	Decision of the Competent Authority	Effective Date
1	2	3	4
1	SWETA KUMARI GUPTA (111001163852)	श्रीमती श्वेता कुमारी गुप्ता, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-161/20), तत्कालीन उप परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(2)(क) के तहत हिरासत में लिये जाने की तिथि दिनांक 22.07.2026 के प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित किया जाता है।	22/07/2026

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टु दोराईबुरु,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या:20060400057
